

256
25

पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी
उपस्थित। और सायल के अधिकृत अनु
पत्रावली वास्ते जवाब आदिना दिनांक
22.07.2025 को पेश ही।


जिला कलेक्टर
बालोतरा

22.7.25

पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी
उपस्थित। और सायल के अधिकृत
अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब आदिना
दिनांक 27.8.2025 को पेश ही।


जिला कलेक्टर
बालोतरा

27.8.25

पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी
उपस्थित। और सायल के अधिकृत
अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब
आदिना दिनांक 10/9/2025 को पेश
ही।


जिला कलेक्टर
बालोतरा

10.9.25

पत्रावली आज पेश हुई। अभियोजन
अधिकारी उपस्थित। और सायल मय
अधिकृत अनुपस्थित। पत्रावली का
अवलोकन किया। सायल की ओर

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

अदालत
की तारीख

से यह इस्तेमाल राजस्थान समाज विरोधी क्रिया कक्षा निवारण अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिनके पत्रावली के उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सखन से दर्ज कर गैर सायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्थान समाज विरोधी क्रिया कक्षा निवारण अधिनियम 2006 प्रकरण की इस न्यायालय में सुनवाई नहीं की जाकर न्यायिक शाखा में नियमानुसार कार्यवाही की जानी न्यायादित में उचित प्रतीत होता है। लिहाजा उक्त प्रकरण न्यायिक शाखा से संबंधित होने से पत्रावली को न्यायिक शाखा में अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजा जाकर इस न्यायालय से पत्रावली नंबर से कम है।


जिला कलेक्टर
बालोतरा

विषय :
महोदय